कार्यालय असिस्टेन्ट कलेक्टर/उपजिलाधिकारी, कलान, शाहजहाँपुर

वाद संख्या : 07

धारा : 80 राजस्व संहिता
ग्राम : नूरपुर तरसौरा
परगना : जलालाबाद

निर्णय

प्रस्तुत वाद में श्री श्रीपालसिंह एजूकेशन समिति हुसैनापुर ककराई कॉट तहसील सदर जिला–शाहजहाँपुर द्वारा संचालित प्रबन्धक/सचिव सन्तनपाल सिंह पुत्र श्री धर्मजीतसिंह नि0ग्रा0 कुतुलूपुर म0 मिर्जापुर तहसील कलान जिला–शाहजहाँपुर की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आराजी ग्राम नूरपुर तरसौरा तहसील कलान परगना जलालाबाद स्थित गाटा संख्या 255/3 रकवा 0.405 हे0 व 255/2 रकवा 0.405 हे0 कुल भाग आवासीय/व्यवसायिक हेतु लगान 20.00 रुपये को अकृषक घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार कलान की आख्या दिनॉक 29.08.2018 प्राप्त हुई, जिसमें उल्लिखित किया गया कि ग्राम नूरपुर तरसौरा तहसील कलान परगना जलालाबाद स्थित गाटा संख्या 255/3 रकवा 0.405 हे0 व 255/2 रकवा 0.405 हे0 का कुल भाग आवासीय/व्यवसायिक के रुप में प्रयोग हो रही है। आराजी निजाई पर कृषि कार्य, बागवानी व पशुपालन, कुक्कुट पालन नहीं हो पा रहा है। भूमि को धारा–80 राजस्व संहिता के अर्न्तगत अकृषक घोषित किये जाने की संस्तुति गयी।

वादी श्री श्रीपालसिंह एजूकेशन समिति हुसैनापुर ककराई कॉट तहसील सदर जिला–शाहजहाँपुर द्वारा संचालित प्रबन्धक/सचिव सन्तनपाल सिंह पुत्र श्री धर्मजीतसिंह द्वारा आराजी निजाई की मालियत 19,44,000/–उन्नीस लाख चवालीस हजार रु0 मात्र है के 1 प्रतिशत मात्र 19440 रु0 उन्नीस हजार चार सौ चालीस मात्र को चालान नम्बर 8 दिनॉक 07.09.2018 से स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया जलालाबाद में जमा कर चालान की प्रति दाखिल की गयी है।

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया । तहसीलदार कलान द्वारा आराजी पर आवास का बना होना व व्यवसाय का होना एवं इस पर कृषि कार्य, कुक्कुट पालन, बागवानी, पशुपालन आदि का न होना बताते हुये इसको अकृषक घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है। वादी द्वारा मालियत की 01 प्रतिशत धनराशि को भी जमा कर दिया गया है। इस प्रकार आराजी निजाई को धारा–80 राजस्व संहिता के प्रावधानों के तहत अकृषक एवं लगान मुक्त घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः तहसीलदार कलान की आख्या दिनॉक 29.08.2018 के आधार पर श्री श्रीपालसिंह एजूकेशन समिति हुसैनापुर ककराई कॉट तहसील सदर जिला–शाहजहाँपुर द्वारा संचालित प्रबन्धक/सचिव सन्तनपाल सिंह पुत्र श्री धर्मजीतसिंह नि0ग्रा0–कुतुलूपुर तहसील–कलान जिला–शाहजहाँपुर आराजी ग्राम नूरपुर तरसौरा गाटा संख्या 255/3 रकवा 0.405 हे0 व 255/2 रकवा 0.405 हे0 कुल भाग आवासीय हेतु लगान 20.00 रुपये भूमि को धारा 80 राजस्व संहिता के प्राविधानों के अन्तर्गत अकृषक एवं लगान मुक्त घोषित किया जाता है। आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार कलान को भू–अभिलेखों में अमल दरामद व एक प्रति सब रजिस्टार, जलालाबाद को नियमानुसार पंजीकरण हेतु प्रेषित की जाये। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफतर हो।

दिनाँक–25.09.2018

(हस्ताक्षर) 26.9.18
असिस्टेन्ट कलेक्टर/उपजिलाधिकारी
कलान, शाहजहाँपुर

(मुहर: कार्यालय/न्यायालय उपजिलाधिकारी कलान जनपद–शाहजहाँपुर)

क्रमांक 22
श्रोता
दिनांक 28-09-18
पक्षी सन्तनपाल सिंह
शब्द संख्या लगभग 300

प्रा0 पत्र म0 22
तारीख नोटिस 28.09.18
तारीख प्रतिलिपि देने की 28.09.18
प्र0 लिपिक

सत्य प्रतिलिपि
28.9.18
R.A

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner